छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन —नया रायपुर
Email Id : henv.cg@nic.com

::आदेश::

नया रायपुर, दिनांक 29.04.2015

कमांक एफ 1—15/2015/32 :: यतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना कमांक का.आ. 380 (अ), दिनांक 4 फरवरी, 2015 के द्वारा राज्य स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी.) का गठन किया गया हैं जिसमें निम्नलिखित निर्देश हैं :—

01. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, राज्य स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी.) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ।

02. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, राज्य स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी.) के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसरण में संदेय होंगे ।

2/ और यतः उक्त अधिसूचना में उल्लेखित उपर्युक्त निर्देशों के पालन में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1—32/2014/32 दिनांक 19.03.2015 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के लिए दायित्वों एवं कर्त्तव्य के सम्यक निर्वहन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सचिवालय के रूप में अधिसूचित किया गया है;

CE(I/c) / ACE(R/L)
SE(B/M/S) / EE / CC
PRO / SO(A/c) / Sff.O / SO-I/II

MEMBER SECRETARY

...2

3/ और यत: पर्यावरण अनुमति संबंधी प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पत्रों के परीक्षण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठकों का आयोजन, कार्यसूची कार्यवाही विवरण, समिति की अनुशंसाओं के अनुसार प्रसारित किये जाने वाले आदेश आदि की कार्यवाही के लिए कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वेतन एवं भत्तों तथा अध्यक्ष तथा सदस्यों के बैठक की फीस और यात्रा–भत्ता/मंहगाई भत्ता आदि के व्यय का भुगतान राज्य शासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण मंडल को दिये जाने वाले अनुदान के अंतर्गत किया जाता है इससे राज्य शासन पर वित्तीय भार पड़ता है;

4/ और यत: उक्त व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु महाराष्ट्र शासन, झारखण्ड शासन एवं कर्नाटक सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों की छानबीन; इत्यादि हेतु परीक्षण शुल्क की दरों का निर्धारण किया है;

5/ अतएव राज्य शासन द्वारा उपरोक्त स्थिति पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले आवेदन–पत्रों की छानबीन इत्यादि हेतु निम्नानुसार परीक्षण शुल्क की दरें निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :–

कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट/ऐरिया डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट

क्र	निर्मित क्षेत्र अथवा विकास क्षेत्र	प्रकिया शुल्क (रूपये में)
1.	50,000 वर्ग मीटर तक निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हेक्टेयर तक विकास क्षेत्र	50,000
2.	50,000 वर्ग मीटर से ज्यादा और 1,00,000 वर्ग मीटर के भतीर निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हेक्टेयर से ज्यादा और 100 हेक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र	1,00,000
3.	1,00,000 वर्ग मीटर से ज्यादा और 1,50,000 वर्ग मीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 100 हेक्टेयर से ज्यादा और 150 हेक्टयर के भीतर विकास क्षेत्र	1,50,000
4.	1,50,000 वर्ग मीटर से ज्यादा निर्मित क्षेत्र अथवा 150 हेक्टयर से ज्यादा विकास क्षेत्र	2,00,000

...2

औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाएँ

कं	परियोजना में कुल पूंजी निवेश (रूपये में)	प्रकिया शुल्क(रूपये में)
1.	25 करोड़ तक	50,000
2.	25 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ के भीतर	75,000
3	50 करोड़ से ज्यादा और 100 करोड़ के भीतर	1,00,000
4.	100 करोड़ से ज्यादा	1,25,000

प्रमुख खनिज उत्खनन (मेजर मिनरल माईनिंग)

कं	माईनिंग लीज क्षेत्र	प्रकिया शुल्क (रूपये में)
1.	05 हेक्टयर तक	10,000
2.	05 हेक्टयर से ज्यादा और 25 हेक्टयर के भीतर	25,000
3.	25 हेक्टयर से ज्यादा	50,000

गौंण खनिज उत्खनन (माईनर मिनरल माईनिंग)

कं	माईनिंग लीज क्षेत्र	प्रकिया शुल्क (रूपये में)
1	05 हेक्टयर तक	5,000
2.	05 हेक्टयर से ज्यादा और 25 हेक्टयर के भीतर	20,000
3.	25 हेक्टयर से ज्यादा	50,000

6/ आवेदक द्वारा परीक्षण शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा । बैंक ड्राफ्ट **State Level Environment Impact Assessment Authority, Chhattisgarh** के पक्ष में रायपुर में भुगतेय होगा ।

7/ **State Level Environment Impact Assessment Authority, Chhattisgarh** के नाम से किसी नेशनल बैंक में एक सेंविग बैंक एकाउंट खोला जाएगा । इस खाते का संचालन प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा । प्राधिकार को प्राप्त परीक्षण शुल्क आदि की राशि इसी बैंक खाते में रखी जायेगी । प्राधिकार को प्राप्त परीक्षण शुल्क से छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के कार्यों के व्यय का वहन किया जायेगा ।

8/ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(संजय शुक्ला) 29/4/15
सचिव

....3

पृ. क्र. एफ 1–15/2015/32 नया रायपुर, दिनांक 29-4-15

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, लोधीरोड, नई दिल्ली,
02. सदस्य सचिव, राज्य स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.)
03. सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी.),
04. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर,
05. संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशन हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित ।

29/4/15

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण संरक्षण